

**न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी**  
**समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 734 / 2013**  
**संस्थित दिनांक- 03.05.2013**

महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, अंजड़  
तर्फे अधिकृत प्रतिनिधि अध्यक्ष राजेन्द्र पिता  
गोपाल जी सोलंकी, निवासी अंजड़

**.....परिवादी**

**वि रू द्ध**

विकास पिता मोहनलाल पारीख,  
उम्र. 26 वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी-  
शिक्षक कॉलोनी, अंजड़

**.....अभियुक्त**

---

परिवादी द्वारा	— श्री एल.के.जेन अधिवक्ता ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री जे.पी.गुप्ता अधिवक्ता ।

---

**—: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 13/01/2017 को घोषित)**

1— परिवादी द्वारा दिनांक 01.05.2013 को प्रस्तुत परिवाद के आधार पर आरोपी के विरुद्ध परिवादी को दायित्व के अधीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बोरलाय में अपने खाते क्रमांक 63039868838 का चेक क्रमांक 511576 दिनांक 18.03.13 को रुपये 1,64,850/- (एक लाख चोसठ हजार आठ सौ पचास रुपये) प्रदान करके जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने से दिनांक 19.03.13 को अनादरित होने और उसकी सूचना परिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.03.13 को आरोपी को प्रस्तुत किये जाने पर सूचना दिनांक 23.03.13 को प्राप्त होने के बाद भी चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने के आधार पर परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अभियोग है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी ने विभिन्न दिनांकों को परिवादी से कई बार लोन प्राप्त किया था।

3— परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी संस्था महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित अंजड़ सहकारिता अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। संस्था सदस्यों से विभिन्न जमा योजनाओं के तहत रुपया जमा कर, ऋण ग्रहिताओं को उचित ब्याज दर पर ऋण देने का कार्य करती है। परिवादी संस्था की ओर से संपूर्ण न्यायालयीन कार्यवाही करने हेतु संस्था के अध्यक्ष राजेन्द्र पिता गोपाल जी सोलंकी को अधिकृत किया है, राजेन्द्र जी सोलंकी संस्था की ओर से जवाबदार एवं उत्तरदायी व्यक्ति है, अधिकृत प्रस्ताव की सत्यापित प्रति पेश है। आरोपी के द्वारा अभियोगी संस्था से ऋण

प्राप्त किया था, आरोपी के द्वारा संस्था को उक्त ऋण के भुगतान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, अंजड़ में स्थित अपने खाते से चेक क्रमांक 511576 रुपये 1,64,850/- का दिया गया था, जो चेक परिवादी ने भुगतान प्राप्ति के लिये भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टेण्ड अंजड़ में अपने खाते में दिनांक 18.03.13 को जमा किया किन्तु आरोपी के खाते में चेक में उल्लेखित रूपयों की भुगतान की व्यवस्था न होने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ के द्वारा चेक बिना भुगतान के अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया। चेक अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को दिनांक 22.03.13 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्रेषित किया, जो आरोपी को दिनांक 23.03.13 को प्राप्त होने के पश्चात भी आरोपी के द्वारा सूचना पत्र में दी गयी अवधि में परिवादी संस्था को चेक में उल्लेखित राशि का भुगतान नहीं किया। इसलिये परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

4- आरोपी पर परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा च138 का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार करते हुए विचारण चाहा तथा उसका अभिवाक लिखा गया तथा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में दं.प्र.सं. की धारा 315 के अंतर्गत स्वयं का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया है।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 18.03.13 को शहर अंजड़ में दिन के समय दायित्व के अधीन परिवादी के पक्ष रुपये 1,64,850/- (एक लाख चोसठ हजार आठ सौ पचास रुपये) का चेक क्रमांक 511576 अपने खाते क्रमांक 63039868838 अपने हस्ताक्षर से प्रदान किया था?
2	क्या उक्त चेक आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने से अनादरित हो गया?
3	क्या परिवादी के अधिवक्ता द्वारा मांग का सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बाद भी आरोपी ने उक्त चेक की धन राशि का भुगतान विधिवत समयावधि में परिवादी को नहीं किया?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

**-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3,4 का निराकरण :-**

6- उपरोक्त चारों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक-साथ किया जा रहा है।

7- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी राजेन्द्र सोलंकी (प.सा.1)

का कथन है कि परिवादी संस्था एक पंजीकृत संस्था है जो अपने सदस्यों से विभिन्न योजनाओं के तहत राशि जमा कर लोन प्राप्तकर्ताओं को उचित दर से लोन देने का कार्य करती है। परिवादी संस्था की ओर से सम्पूर्ण न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिये संस्था के अध्यक्ष राजेन्द्र सोलंकी को अधिकृत किया गया है। आरोपी ने परिवादी संस्था से लोन प्राप्त किया था और उक्त लोन के भुगतान हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोरलाय में स्थित अपने खाते का चेक क्र. 511576 रुपये 1,64,850/- दिनांक 18.03.13 को चेक अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया था जो चेक भुगतान प्राप्ति के लिये परिवादी ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टेण्ड अंजड़ में दिनांक 18.03.13 को जमा किया गया, किन्तु उक्त चेक आरोपी के खाते में पर्याप्त धन राशि न होने से अनादरित हो गया और परिवादी को दिनांक 19.03.13 को वापस प्राप्त हो गया, चेक अनादरण की सूचना मिलने के 30 दिवस के भीतर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22.03.13 को को रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र भेजा गया था जो आरोपी को दिनांक 23.03.13 को प्राप्त होने के बाद भी विहित समयावधि में परिवादी को चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

8— परिवादी ने अपने समर्थन में असल चेक प्रदर्श पी 1 पेश किया है, उसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है, बैंक जमा पर्ची प्रदर्श पी 2, चेक अनादरण मेमो प्रदर्श पी 3, परिवादी संस्था द्वारा उसे प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिकृत प्रस्ताव प्रदर्श पी 4, सूचना पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्श पी 5, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 6, अभिस्वीकृति पत्र प्रदर्श पी 7, आरोपी द्वारा परिवादी संस्था में लोन एग्रीमेंट फाईल में संलग्न लोन आवेदन पत्र प्रदर्श पी 8, अनुबंध पत्र प्रदर्श पी 9, जमानतनामा प्रदर्श पी 10 व 11, प्रामेसरी नोट प्रदर्श पी 12, हाईपोथिकेशन प्रदर्श पी 13, निष्पादन पत्र प्रदर्श पी 14, चेक प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 15, अनुबंध प्रदर्श पी 16, आदर्श उपविधि प्रदर्श पी 17, वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2013 का लेजर प्रदर्श पी 18 से 20 प्रदर्शित कराने तथा प्रदर्श पी 8 से प्रदर्श पी 16 तक ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर होना बताया है।

9— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया है कि संस्था आदर्श उपविधि प्रदर्श पी 17 है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है और उसने उक्त आदर्श उपविधि को पढ़ा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त आदर्श उपविधि के अनुसार ब्याज दर निर्धारित की जाती है तथा प्रदर्श पी 17 के चरण क्रमांक 46 के उपचरण 5 में ए से ए भाग की बात सही लिखी है, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि ब्याज दर बैंक के संचालन मण्डल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं संचालक तय करते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता है कि उन्होंने जिस समय आरोपी को लोन दिया था, उस समय शासकीय बैंक की ब्याज दर क्या था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि जब आरोपी को लोन दिया था उस समय बैंक की ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक थी या नहीं। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने आरोपी पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को अपने खाते का हिसाब-किताब रखने के लिए लिखित में कोई सूचना नहीं दी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी स्वयं बैंक में आता था और लोन

के बदले में कुछ पैसे भी जमा करता था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 की जमा पर्ची उनकी संस्था के किसी कर्मचारी ने भरी होगी, लेकिन साक्षी ने इंकार किया है कि प्रदर्श पी 1 के चेक में हस्ताक्षर को छोड़कर शेष हस्तलेख उनकी बैंक के किसी कर्मचारी के है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी हिसाब करवाकर गया था और दूसरे दिन आकर चेक जमा किया था।

10— साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रदर्श पी 8 के आवेदन में जिन दस्तावेजों का उल्लेख है वे सभी दस्तावेज लोन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से लिये जाते हैं। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि कुछ ही दस्तावेज लिये जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 8 में 2 चेक लेने का उल्लेख है और प्रदर्श पी 16 में चेक नम्बरों का उल्लेख है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उक्त चेक उन्होंने आरोपी को लौटा दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दोनों चेक में से एक चेक उन्होंने कूटरचना करके न्यायालय में परिवाद के साथ पेश किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रदर्श पी 16 में जिस चेक का उल्लेख है उस चेक का उल्लेख परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत चेक में है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उनकी संस्था लोन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से कोरे चेक हस्ताक्षर करके लेती है अथवा उन्होंने आरोपी को लोन देते समय प्रदर्श पी 1 का चेक जमानत के तौर पर कोरा प्राप्त किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि अदर्श उपविधि प्रदर्श पी 17 में लोन लेने वाले व्यक्ति से प्रामेसरी नोट लिखाये जाने का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रामेसरी नोट उन्होंने आरोपी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे लिखवाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 पर भी आरोपी से कोरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये गये थे जो नियमानुसार कराये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 07.06.12 को जो रुपये 3,24,000/—(तीन लाख चौबीस हजार) बकाया बताये गये हैं उस पर एक माह का ब्याज कितना होगा वह नहीं बता सकता, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उनका लेखापाल बता सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के खाते का प्रदर्श पी 21 का हिसाब-किताब गलत रूप से तैयार किया गया है अथवा परिवादी का आरोपी पर रुपये 1,64,850/— (एक लाख चोसठ हजार आठ सौ पचास रुपये) दिनांक 18.03.2013 तक बकाया नहीं है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि लेजर प्रदर्श पी 20 में इसका हिसाब-किताब लिखा है। इस साक्षी से संस्था द्वारा प्रस्तुत लेजर एवं दस्तावेजों के संबंध में अनावश्यक रूप से विस्त्रुत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है जो कि प्रकरण से सुसंगत नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि परिवादी द्वारा प्रदर्श पी 1 के चेक पर कूटरचना कर असत्य परिवाद प्रस्तुत किया है।

11— विकास (आरोपी स्वयं) (ब.सा. 1) का कथन है कि वह मजदूरी का काम करता है। परिवादी संस्था साहूकारी का काम करती है। उसने वर्ष 2011 में अपने पिताजी के बीमार होने पर परिवादी से रुपये 1,50,000/— (एक लाख पचास हजार) उधार लिये थे तथा उसने परिवादी संस्था को पैसे लौटा दिया था। रुपये उधार देते समय परिवादी संस्था ने उससे 3 कोरे चेक एवं एक कोरा स्टाम्प लिया था जिस पर उसके हस्ताक्षर लिये थे तथा उसे बताया था कि राष्ट्रीकृत बैंक की ब्याज दर से 1 प्रतिशत ज्यादा ब्याज दर लेंगे। परिवादी संस्था ने गलत हिसाब

प्रस्तुत किया है उसने परिवादी को कोई रुपये नहीं लिये थे। परिवादी ने उसके द्वारा दिये गये चेक का दुरुपयोग कर राशि व दिनांक भर ली है और न्यायालय में पेश किया है।

12— परिवादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2011 में उसकी सराफे की दुकान कान्हा ज्वेलर्स के नाम से थी। साक्षी ने प्रदर्श पी 8 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह प्रत्येक कागज पर पढ़कर हस्ताक्षर करता है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने यहां पर पढ़कर हस्ताक्षर नहीं किये थे। साक्षी ने परिवादी से दिनांक 5.07.11 को रुपये 3,25,000/— लोन लेने से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 11.07.11 को रुपये 1,00,000/—, दिनांक 26.07.11 को रुपये 50,000/—, दिनांक 16.11.11 को रुपये 20,000/—, दिनांक 31.03.12 को रुपये 1,00,000/—, दिनांक 23.04.12 को रुपये 20,000/—, दिनांक 10.05.12 को रुपये 4,000/—, दिनांक 07.06.12 को रुपये 2,00,000/—, दिनांक 26.06.12 को रुपये 50,000/—, दिनांक 21.08.12 को रुपये 30,000/—, उधार लिये थे, लेकिन साक्षी ने यह ध्यान नहीं होना बताया कि उसने दिनांक 21.10.11 को 1,00,000/— रुपये उधार लिये थे या नहीं। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने जमा की गई धन राशि की रसीदे प्रस्तुत नहीं की है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने रसीदें नहीं देने के संबंध में थाना अंजड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 के चेक पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने परिवादी के पक्ष में प्रदर्श पी 1 का चेक ऋण राशि के भुगतान के लिये जारी किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

14— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आरोपी द्वारा परिवादी संस्था से जो लोन लिया गया था उसकी अदायगी कर दी गई है तथा लोन देते समय परिवादी संस्था ने ब्याज राष्ट्रीयकृत बैंक की दर से 1 प्रतिशत अधिक बताया था। आरोपी ने लोन प्राप्त करते समय 3 कोरे चेक परिवादी के पक्ष में जारी किये थे जिसका परिवादी संस्था के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त लोन वर्ष 2011 में प्राप्त किया था इस प्रकार उक्त लोन, परिसीमा से बाहर है तथा परिवादी का परिवाद समयावधि से बाहर होकर प्रचलन योग्य नहीं है।

15— आरोपी द्वारा दिये गये दं.प्र.सं. की धारा 91 के उत्तर में आरोपी की ओर से सम्पूर्ण लोन फाईल प्रकरण में पेश की गई है, जिसे आरोपी ने भी सही होना स्वीकार किया है। उक्त लोन फाईल में आरोपी का लोन आवेदन प्रदर्श पी 8 संलग्न है उसमें आरोपी का छायाचित्र भी लगा है तथा उक्त लोन फाईल तथा संबंधित दस्तावेज आरोपी ने सही होना स्वीकार किया है। उक्त लोन फाईल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा परिवादी संस्था से रुपये 3,25,000/— का लोन दिनांक 05.07.11 को प्राप्त किया गया था जिसका दस्तावेज प्रदर्श पी 9 से लगायत प्रदर्श पी 16 आरोपी एवं परिवादी के मध्यम लोन अनुबंध है,

उक्त किसी भी दस्तावेजों में यह उल्लेख नहीं है कि आरोपी द्वारा लोन प्राप्त करते समय परिवादी के पक्ष में 3 कोरे चेक अपने हस्ताक्षर करके जारी किये गये हैं, बल्कि प्रदर्श पी 12 में आरोपी द्वारा परिवादी से रुपये 3,25,000/- की धन राशि को ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक है, जिस पर ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त लिखित दस्तावेजों के खण्डन में आरोपी की ओर से कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि आरोपी द्वारा प्राप्त किये गये लोन पर ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक नहीं होकर उससे कम थी। परिवादी ने अपने कथन में यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी ने बैंक में आकर हिसाब करके परिवादी के पक्ष में दिनांक 18.03.13 को उक्त विवादित चेक प्रदर्श पी 1 अपने हस्ताक्षर से जारी किया था। उक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का आरोपी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कोई भी खण्डन नहीं हुआ है। आरोपी की ओर से परिवादी के पक्ष में कोरे चेक जारी करने और परिवादी संस्था को लोन की सम्पूर्ण राशि अदा करने के संबंध में मौखिक कथन किया गया है, लेकिन ऐसी कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आरोपी द्वारा परिवादी संस्था से लिये गये लोन धन राशि रुपये 3,25,000/- का ब्याज सहित भुगतान उसके द्वारा परिवादी को कर दिया गया है।

16— जहां तक आरोपी द्वारा अवधि बाधित लोन के संबंध में उक्त चेक जारी किया जाने का प्रश्न है वहां न्याय दृष्टांत ए.वी. मूर्ति विरुद्ध बी.एस. नागाबासावन्ना ए.आई.आर. 2002 एस.सी.985 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि— यदि अवधि बाधित लोन भुगतान हेतु आरोपी द्वारा परिवादी के पक्ष में कोई चेक अपने दायित्व को स्वीकार करके जारी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23(3) के प्रावधान अनुसार उक्त अवधि बाधित लोन को अदायगी के लिये दिया गया चेक दायित्व के अधीन प्रदान किया गया माना जावेगा। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17— इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी द्वारा परिवादी के पक्ष में अपने विधिक दायित्व को स्वीकार करते हुए प्रदर्श पी 1 का चेक अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने से अनादरित हुआ, जिसका सूचना पत्र दिये जाने के उपरांत भी उक्त चेक धन राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। आरोपी ने प्रदर्श पी 1 के चेक पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत उपधारणा भी परिवादी के पक्ष में लागू होती है कि आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन प्रदर्श पी 1 का चेक आरोपी के हस्ताक्षर से जारी किया था। उक्त चेक आरोपी के खाते में अपर्याप्त धन राशि होने से ही अनादरित हुआ था जिसका सूचना पत्र पाने के बाद भी आरोपी ने चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध परिवादी प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी विकास पिता मोहनलाल पारीख, उम्र 26 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, अंजड़ को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

18— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा पर छोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है।

19— अतः सजा के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया। आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपी को न्यूनतम दंड से दंडित करने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि आरोपी द्वारा लोन की राशि में से काफी धन राशि का भुगतान परिवादी को दे चुका है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। परिवादी के अधिवक्ता ने आरोपी को अधिकतम दंड देने की प्रार्थना की है।

20— यह सही है कि आरोपी ने जिस लोन की अदायगी के लिये प्रदर्श पी 1 का चेक जारी किया था उक्त लोन की मूल धन राशि रुपये 3,25,000/— जिसमें से काफी धन राशि का भुगतान परिवादी को आरोपी द्वारा किया जा चुका है जिसे देखते हुए आरोपी को अधिकतम कारावास से दंडित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी विकास पिता मोहनलाल पारीख, उम्र 26 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, अंजड़ को 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा—138 के आरोप में दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है। दं.प्र.सं. की धारा 357 (1) तथा परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 (1) (ए) के अनुसार आरोपी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर के रूप में परिवादी को रुपये 2,00,000/— (दो लाख रुपये) अदा करे। उक्त प्रतिकर आरोपी द्वारा अदा नहीं करने पर आरोपी 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेंगा।

21— आरोपी के जमानत एवं मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

22— आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए।

23— आरोपी को निर्णय की एक प्रति निशुल्क दी जाए।

24— प्रकरण में पेश लोन फाईल अपील अवधि अवधि पश्चात परिवादी को वापस हो, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.